रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 1987/वैशाख 10, 1909
No. 214] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 1987/VAISAKHA 10, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1987

अधिसूचनाएं

सं. 191/87-सीमा शुल्क

का. आ. 452 (अ) :—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौएडा निर्यात प्रसंस्करण जोन को, जिसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 4/86-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 20 जनवरी, 1986 के अधीन मुक्त व्यापार जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, भांडागार केन्द्र घोषित करता है ।

[फा. सं. 474/14/87 सीमा शुल्क-7]

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 30th April, 1987

NOTIFICATIONS

NO. 191|87-CUSTOMS

S.O. 452(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares the NOIDA Export Processing Zone, specified as a free trade zone under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 4|86-Central Excises, dated the 20th January, 1986, to be a warehousing station.

[F. No. 474|14|87-CUS. VII]

सं. 192/87-सीमा शुल्क

का. आ. 453 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचीन निर्यात प्रसंस्करण जोन को, जिसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 397/86-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 26 अगस्त, 1986 के अधीन मुक्त व्यापार जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, भांडागार केन्द्र घोषित करता है ।

[फा. सं. 474/14/87-सीमा शुल्क-7]

एम. मायकल, अवर सचिव

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

NO. 192|87-CUSTOMS

S.O. 453(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares the Cochin Export Processing Zone, specified as a free trade zone under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 397|86-Central Excises, dated the 26th August, 1986, to be a warehousing station.

[F. No. 474|14|87-CUS. VII]

M. MICHAEL, Under Secy.

Central Board of Excise and Customs.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987